न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 119 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 457

1. नत्थूराम पुत्र बीजला राम जाति बावरी निवासी अमरसर तहसील रायसिंहनगर हाल चक 2 एलएम तहसील अनूपगढ़ —अपीलार्थी

बनाम

1. श्योपतराम पुत्र मामराज जाति बावरी निवासी रामजीवाला तहसील रायसिंहनगर
2. रामचन्द्र पुत्र बीजला राम जाति बावरी निवासी अमरसर तहसील रायसिंहनगर हाल वार्ड नं. 5, आनन्द नगर श्रीविजयनगर
3. नाथा देवी पुत्री बीजला राम पत्नी उमा राम जाति बावरी निवासी अमरसर तहसील रायसिंहनगर हाल वार्ड नं. 3, 6 पीएसडी बी रावला तहसील घड़साना
4. मेहली देवी पुत्री बीजला राम पत्नी ज्ञानी राम जति बावरी निवासी अमरसर तहसील रायसिंहनगर हाल चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़
5. मामराज पुत्र बीजलाराम जाति बावरी निवासी अमरसर तहसील रायसिंहनगर हाल रामजीवाला तहसील रायसिंहनगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान —प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री योगेन्द्र कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री हंसराज डाल, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री दयाराम लखेसर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 से 4
4. राजपैरोकार, उपतहसीलदार समेजा प्रत्यर्थी सं. 6

अनुपस्थित, प्रत्यर्थी सं. 5

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26/06/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण(प्र.सं. 03 / 23) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्र.सं. 06 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 जिसके द्वारा चक ठाकरी ए के प.नं. 225 / 299 मु.नं. 29 की 6.200है. भूमि का वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 श्योपतराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं से व्यथित होकर यह अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन अन्तर्गत आ. 41 नि. 5 व धारा 151 सीपीसी के प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। चूंकि मूल अपील प्रकरण का निर्णय किया जा रहा हैं इसलिए स्थगन प्रार्थना पत्र पर पृथक से निर्णय किये जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थना स्थगन अन्तर्गत आ. 41 नि. 5 व धारा 151 सी[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाता हैं। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र अ[illegible] 41 नि. 27 व धारा 151 सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तु[illegible] [illegible] रिका[illegible] लिये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं। अधिवक्[illegible] [illegible] अपील एवं प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अ[illegible]र्थी व प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 के पिता तथा प्रत्यर्थी सं. 1 के दादा बिजल पुत्र लच्छू जाति बावरी निवासी अमरसर के नाम से चक ठाकरी ए मु.नं. 29 में 6.200है. बारानी भूमि थी जो पारिवारिक सदस्यों के आधार पर आवंटित हुई थी। जिस पर अपीलार्थी एवं रेस्पों. सं. 2 से 5 प्रत्येक का 1 / 5 विरास्तन निहित हैं। इसी हिस्सानुसार संयुक्त रूप से भूमि पर काबिज हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा फर्जी वसीयत तैयार करवाकर अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवा लिया। वसीयत प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम से नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसान को नोटिस जारी किये एवं बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested

सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो कि विधि विपरीत होने से निरस्त किये योग्य हैं। वसीयत में अंकित गवाहान द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध परिवाद भी दर्ज करवाया गया हैं उन्होंने गवाह होने से इंकार किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मृतक के वारिसान का कब्जा होना अंकित किया गया हैं। अपीलार्थी को आलौच्य आदेश की जानकारी 22.02.2023 को प्रत्यर्थी सं. 1 से हुई जिस पर दिनांक 28.02.2023 को आलौच्य आदेश की नकले प्राप्त कर इल्म से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जिससे वह अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण कर अपील स्वीकार आलौच्य आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि भूमि बीजल को आवंटित हुई थी जिसकी खातेदारी भी बीजल को मिल गयी थी। प्रत्यर्थी जो कि बीजल का पोता हैं वह बीजल की सेवा करता था जिससे प्रसन्न होकर उनके द्वारा वसीयत प्रत्यर्थी के पक्ष में पंजीबद्ध करवाई थी। बीजल की मृत्यु के पश्चात तहसीलदार के समक्ष आवेदन करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में निर्णय पारित किया। वसीयत के संबंध में निर्णय किये जाने का अधिकार सिविल न्यायालय को जहां प्रकरण विचाराधीन हैं। प्रत्यर्थी के विरूद्ध जो एफआईआर दर्ज करवाई गयी थी वह मा. न्यायालय द्वारा जांच हेतु भिजवाई गयी है जो कि सिविल न्यायालय से तय होना हैं। अपीलार्थी एक ही प्रकृति के प्रकरण हेतु पृथक पृथक न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अपील निश्चित समयावधि में नहीं हैं। अपील सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 ने अपनी बहस में अपीलार्थी अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 41 नि.27 सीपीसी का प्रस्तुत कर दस्जावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा मा. सिविल न्यायालय, रायसिंहनगर, मा. न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों यथा आदेशिका, निर्णय, वाद/प्रार्थना पत्रों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपीलाधीन भूमि की सनद बहक बिजल की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं। न्यायालय की राय में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकरण के निस्तारण हेतु परिशीलन किया जाना उचित हैं। प्रस्तुत दस्तावेज न्यायपूर्ण निर्णय हेतु आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता हैं।

6. अधिनस्थ न्यायलय का आलौच्य आदेश दिनांक 10.01.2023 हैं का तथा अपील न्यायालय में दिनांक 03.03.2023 को प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रति अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2023 की जारी की हुई हैं, जिससे अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि होती हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के द्वारा मा. सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद नत्थूराम आदि बनाम [illegible] आदि बाबत वसीयत को शून्य घोषित करने की आदेशिका व वाद पत्र की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं। अतः प्रकरण में अपीलाधीन आदेश वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं उक्त वसीयत को अपीलार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में चुनौति दी गयी हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक हैं। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में 1 माह से कम अवधि का विलम्ब हुआ हैं जिसे न्यायहित में क्षमा कर अपील पर मेरिट पर निर्णय किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद ग्रहण किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested

7. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पों. सं. 1 श्योपतराम पुत्र मामराज द्वारा दिनांक 14.02.2022 को तहसील रायसिंहनगर के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25.01.2011 के आधार पर अपीलाधीन भूमि का

जिला कलक्टर अनूपगढ़

इंतकाल अपने नाम से दर्ज करने हेतु मय शपथ पत्र आवेदन किया। आवेदन पत्र के साथ 50रूपये के स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत शपथ पत्र की मद संख्या 3 में अपीलार्थी द्वारा अंकित किया गया हैं कि "मैं शपथपूर्वक ब्यान करता हूं कि उक्त सम्पति मेरे दादा के द्वारा खरीद शुद्धा सम्पति है, जिसकी वसीयत मेरे दादा ने मेरे हक में की हैं।" स्वयं प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा ही जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा बिजल पुत्र लच्छु के हक में अपीलाधीन भूमि जारी की जारी सनद दिनांक 22.09.1994 की छायाप्रति प्रति प्रस्तुत की गयी हैं। एवं अपनी बहस में स्वीकार किया हैं कि भूमि बिजल को आवंटित हुई थी। इस प्रकार प्रत्यर्थी के अधिनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष किये गये कथन विरोधाभासी हैं।

8. वसीयत बिजल बहक श्योपतराम का अवलोकन किया। वसीयत उप पंजीयक रायसिंहनगर से दिनांक 25.01.2011 को पंजीबद्ध हैं। वसीयत पर गवाहान श्योपतराम पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी 34 एनपी तहसील रायसिंहनगर एवं हुकमाराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी निवासी चक 17 एसएडी तहसील रायसिंहनगर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में 50 रूपये के स्टाम्प पर अंकित वसीयत के गवाह श्योपतराम पुत्र माहीराम का शपथ पत्र उपलब्ध हैं जिसमें श्योपत राम द्वारा ब्यान किया गया हैं कि वसीयत में वह बतौर गवाह शामिल था। वसीयत के दूसरे गवाह हुकमाराम के ब्यान अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली पर नहीं हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि परिवाद पत्र श्योपतराम आदि का अवलोकन किया। श्योपतराम पुत्र माहीराम व हुकमा राम पुत्र नत्थूराम ने श्योपत राम पुत्र मामराज व मामराज पुत्र बिजल के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर के समक्ष परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,120बी आईपीसी के प्रस्तुत कर कथन किया हैं कि अप्रार्थीगण ने टेकानामा का कहकर वसीयत पर हस्ताक्षर करवाए हैं। ऐसी स्थिति में वसीयत के गवाहान के ब्यान ही संदेहास्पद व विरोधाभासी हैं।

9. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रति निर्णय मा. सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर प्र.सं. 21/23 निर्णय दिनांक 01.09.2023 नत्थूराम आदि बनाम श्योपतराम आदि अन्तर्गत आ. 39 नि. 1 व 2 धारा 151 सीपीसी में मा. सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर के द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में तय कर प्रार्थीगण को निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी माना हैं औरा कृषि भूमि चक ठाकरी ए तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 120 प.नं. 225/299 मु.नं. 29 कि.नं. 1 ता 25 में 6.200 है. अनकमाण्ड भूमि को अन्यथा प्रकार से अंतरण करने से निषिद्ध रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद्ध किया गया हैं। इसी प्रकार अपीलार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्र.सं. 71/23 नत्थूराम आदि बनाम श्योपतराम आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 की प्रमाणित प्रति पेश की गयी हैं। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में तय कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित की गयी हैं। अपीलाधीन भूमि संबंधित वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन हैं। भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों का निर्णय मूल वाद में गुणावगुण पर किया जाना हैं।

10. अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 से वसीयत के आधार पर इंतकाल का आवेदन प्राप्त होने पर अपीलाधीन भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की। पटवारी हल्का की प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित हैं कि भूमि पर मौका पर वारिसान का कब्जा है। जिसका अंकन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में भी किया गया हैं। अपीलार्थी का कथन है कि भूमि पर वे आज भी काबिज हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार वसीयतकर्ता के वारिसान को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं। जो सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है, वह दैनिक ... नामक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे किसी लोकप्रचलित समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाते।

11. इस प्रकार प्रकरण में पाया गया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार/वसीयतकर्ता के वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं ना ही प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किया गया हैं। अतः आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

जिला कलक्टर (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर अनूपगढ़

प्रमाणित प्रति वाद पत्र नत्थूराम बनाम श्योपराम आदि अनुसार अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा हैं। जिस पर वाद बिन्दू कायम कर भूमि पर अधिकारों का विनिश्चय उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार का विषय हैं तथा वाद बिन्दू कायम कर खातेदारी अधिकारों का निर्णय गुणावगुण किया जाना हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित हैं।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2023 निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26/8/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested